केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of pasting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of the copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
10-1-2023 दस जनवरी सन दो हजार तेईस	11-1-2023 ग्यारह जनवरी सन दो हजार तेईस	11-1-2023 ग्यारह जनवरी सन दो हजार तेईस	[illegible] 11/01/23

प्रति लिपि आदेश दिनांक 9-1-2023 पारित द्वारा न्यायालय अपर जिलाधिकारी ललितपुर वाद संख्या T202244670023263 धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 ग्राम - [illegible], परगना [illegible], तहसील ललितपुर जिला- [illegible] ता० 9-1-2023

दिनेश कुमार आदि - बनाम - उत्तर प्रदेश सरकार

न्यायालय अपर जिलाधिकारी ललितपुर [illegible]

नोट प्रति लिपि आदेश दिनांक 9-1-2023 की हाथ प्रति संलग्न है।

मण्डल:- अयोध्या,जनपद:- अम्बेडकरनगर,तहसील:- जलालपुर

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 3263/2022

दिनेश कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T20224467023263

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 09/01/2023

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत आनलाइन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 दिनेश कुमार पुत्र नर्बदेश्वर आदि निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर ओदरपुर परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के द्वारा स्थित ग्राम सरैया परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर की सन् 1425 ता 1430 फ0 की खाता संख्या 15 की गाटा संख्या 108/0.532हे0 मे से 0.266हे0 पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का मकान व बाउन्ड्रीवाल लगाकर व्यवसायिक रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जिसे अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना- पत्र दिया गया है। जिसकी जॉच तहसीलदार जलालपुर से करायी गयी। जिसकी जांच आख्या निम्नवत है।

तहसीलदार जलालपुर द्वारा दिनांक-15.12.2022 को राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या क्रमशः दिनांक 09.12.2022 व 05.12.2022 अग्रसारित करते हुए कहा गया है कि दिनेश कुमार पुत्र नर्बदेश्वर आदि निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर ओदरपुर परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के द्वारा स्थित ग्राम सरैया परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर की सन् 1425 ता 1430 फ0 की खाता संख्या 15 की गाटा संख्या 130108/0.532हे0 में से 0.266हे0 पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का मकान व बाउन्ड्रीवाल लगाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जिसे निवासीगण ग्राम के पक्ष में उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु आख्या प्रेषित किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एव तहसीलदार जलालपुर की अग्रसारित आख्या दिनांक 15.12.2022 का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि दिनेश कुमार पुत्र नर्बदेश्वर आदि निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर ओदरपुर परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के द्वारा स्थित ग्राम सरैया परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर की सन् 1425 ता 1430 फ0 की खाता संख्या 15 की गाटा संख्या 108/0.532हे0 मे से 0.266हे0 पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का मकान व बाउन्ड्रीवाल लगाकर व्यवसायिक रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है। जिसे निवासीगण ग्राम के पक्ष मे उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत आकृषिक दर्ज किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। यह भी आख्या प्रेषित है कि उक्त भूमि को अकृषिक दर्ज किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस की सम्भावना नही है और न सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की सम्भावना है। उक्त भूमि किसी महायोजना मे प्रस्तावित उपयोग के विरूद्ध नहीं है और न कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, और न चकबन्दी प्रक्रिया से आच्छादित है। उक्त भूमि के बावत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही ग्राम समाज की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। उक्त ग्राम का जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार मु0 24480.00 होता है। मु0 24480.00 रू0 घोषणा शुल्क के रूप ने ई स्टाम्प संख्या-जे डी 0013797907 दिनांक-13.12..2022 को संलग्न पत्रावली किया गया है, और सहखातेदार होने के कारण विभाजन शुल्क 1000 रू0 का ई स्टाम्प संख्या-ओ टी 0008000843 दिनांक-03.01..2023 संलग्न पत्रावली किया गया है जमा किया गया है। एवं सहखातेदारो द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है। जिससे वाद निर्विवाद प्रतीत होता है, उक्त भूमि को अकृषिक घोषित/दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम सरैया परगना सुरहरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1425 ता 1430 फ0 की खाता संख्या 15 की गाटा संख्या 108/0.532हे0 में से 0.266हे0 दिनेश कुमार पुत्र नर्बदेश्वर आदि निवासीगण ग्राम के नाम लगान परता से मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित/दर्ज किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। इस आदेश की प्रमाणित एक प्रति उपनिबन्धक जलालपुर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09.01.2023

उपजिलाधिकारी
जलालपुर,अम्बेडकरनगर।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
11/01/23
वाचक
कार्यालय परगनाधिकारी,
परगना मजिस्ट्रेट
जलालपुर, अम्बेडकरनगर

3 pages
शब्द संख्या - 250